कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 24.06.2026

□चन्दौली पुलिस और एसटीएफ वाराणसी की संयुक्त कार्यवाही कार्यवाही, उड़ीसा से तस्करी कर लाया जा रहा 501.380 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

□लोहे का एंगल एवं मसाला की आड़ में छिपा कर रखे था करोड़ों का नशा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ₹1.25 करोड़ से अधिक

□पराग डेयरी के पास कटरिया अंडरपास पर घेराबंदी कर दबोचे गए रोहतास (बिहार) के दो शातिर तस्कर

□पूर्वांचल के जनपदों में खपा कर आर्थिक लाभ अर्जित की थी बड़ी तैयारी, पुलिस की मुस्तैदी से नेटवर्क ध्वस्त

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आकाश पटेल द्वारा जनपद मे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, अरुण कुमार के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस एवं एसटीएफ वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर ट्रक संख्या BR24GD8352 से लोहे का एंगल एवं मसालो के बीच छिपाकर रखी गयी कुल 20 बोरियों में भरा हुआ 501.380 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 311/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- थाना मुगलसराय व एसटीएफ वाराणसी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.06.2026 को प्राप्त मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर कटरिया अण्डरपास के पास पराग डेयरी के समीप संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान टाटा अल्ट्रा ट्रक संख्या BR24GD8352 को रोककर पूछताछ की गयी। प्रारम्भिक पूछताछ में वाहन चालक एवं उसके साथी द्वारा ट्रक में लोहे का एंगल एवं मसाला लदा होना बताया गया, किन्तु पुलिस टीम द्वारा सघन पूछताछ एवं तलाशी लेने पर ट्रक में लदे सामान के बीच छिपाकर रखी गयी कुल 20 बोरियों में भरा हुआ अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा का इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन कराने पर कुल वजन 501.380 किलोग्राम पाया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे उड़ीसा राज्य के जनपद बौध से अवैध गांजा खरीदकर ट्रक में लदे वैध माल (लोहे के एंगल एवं मसालों) के बीच छिपाकर बिहार एवं पूर्वांचल क्षेत्र में लाते थे तथा वाराणसी एवं आसपास के जनपदों में ऊँचे दामों पर बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गांजा तस्करी के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे की वास्तविक पहचान एवं पता प्रायः साझा नहीं किया जाता है, जिससे पुलिस की कार्यवाही से बचा जा सके। यह भी बताया गया कि वे पूर्व में भी कई बार इस प्रकार गांजा की खेप लाकर विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति कर चुके हैं। बरामद गांजा की खेप को वाराणसी क्षेत्र में खपाने की योजना थी, किन्तु पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ के आधार पर इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 नरेश सिंह यादव निवासी मोहल्ला नूरगंज थाना सासाराम जनपद रोहतास (बिहार)

राजकुमार यादव पुत्र स्व0 नरेश सिंह यादव निवासी मोहल्ला नूरगंज थाना सासाराम जनपद रोहतास (बिहार)

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 311/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

501.380 किलोग्राम अवैध गांजा

एक ट्रक संख्या BR24GD8352

दो मोबाइल फोन

चन्दौली पुलिस की सतर्कता से अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का खुलासा, एक तस्कर गिरफ्तार, ट्रक व भारी मात्रा में शराब बरामद।

थाना मुगलसराय पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 01 ट्रक से 925 पेटी (8222.8 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर मौके से 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

बरामद अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 02 करोड़ 31 लाख रुपये

पंजाब से ट्रक में आलू के बीच छिपाकर लाई जा रही थी शराब, बिहार में खपाने की थी तैयारी

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आकाश पटेल द्वारा जनपद मे अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, अरुण कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव व सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में चेकिंग के दौरान मैनुअल साक्ष्यो के आधार पर 01 ट्रक वाहन (JK02BP1812) से कुल 925 पेटी (8222.8 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर मौके से 01 शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 23.06.2026 को थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह मय हमराह व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मैनुअल साक्ष्यो के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मिल्कीपुर-ताहिरपुर हाईवे पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान वाराणसी की ओर से आ रहे ट्रक संख्या JK02BP1812 को रोकने का प्रयास किया गया। चालक द्वारा वाहन को तेजी से भगाकर भागने का प्रयास किया गया, किन्तु पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया गया। तलाशी के दौरान ट्रक में आलू की बोरियों की आड़ में छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्राण्डों की कुल 925 पेटी में कुल लगभग 8222.8 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई । बरामद समस्त शराब पर "For Sale in Punjab Only" अंकित पाया गया, जो केवल पंजाब राज्य में बिक्री हेतु अधिकृत थी।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त की पहचान मो0 जबीर पुत्र स्व0 नाजीर हुसैन निवासी अस्तादमल्लाह, पोस्ट बेरुस, थाना बस स्टैण्ड सिटी, बक्सीनगर, जम्मू, उम्र लगभग 50 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0

310/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह ट्रक चालक है। उसे उक्त शराब पंजाब से लोड कराकर बिहार पहुंचाने के लिए दी गई थी। शराब को ट्रक में आलू की बोरियों के बीच छिपाकर रखा गया था ताकि चेकिंग के दौरान किसी को संदेह न हो। अभियुक्त ने बताया कि बिहार पहुंचने पर उसे वाहन स्वामी/संबंधित व्यक्तियों द्वारा बताये गये स्थान पर शराब उतारनी थी, जिसके एवज में उसे किराया एवं अतिरिक्त धनराशि मिलने वाली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मो0 जबीर पुत्र स्व0 नाजीर हुसैन निवासी अस्तादमल्लाह, पोस्ट बेरुस, थाना बस स्टैण्ड सिटी, बक्सीनगर, जम्मू, उम्र लगभग 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 310/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

बरामदगी विवरण-

01 ट्रक वाहन

कुल 925 पेटी में कुल लगभग 8222.8 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई ।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप थाना चकरघट्टा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 08/2002 धारा 279,304ए भादवि में अभियुक्त 1.बाबूलाल पुत्र अलगू प्रसाद निवासी सेमरा कुसही थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली को मा0 न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/जेएम चकिया जनपद चन्दौली द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 01 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं थाना चकरघट्टा पुलिस की प्रभावी पैरवी सराहनीय रही।